

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या-01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुभाग-2 के शा० संख्या-30/XXX(2)18/30(13) 2017 दिनांक-06.02.2018 एवं शा० संख्या-140/XXX(2)18/30(13) 2018 दिनांक-25.05.2018 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-05.06.2018 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री राम कुमार दोहरे, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुड़की स्थित लण्ठौरा का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-7(ख) के अधीन सुगम से दुर्गम स्थान पर पात्रता के अनुसार कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, गोपेश्वर के पद पर किया जाता है।

श्री राम कुमार दोहरे, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुड़की को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये, अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

श्री दोहरे का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, गोपेश्वर के पद पर अस्थायी व्यवस्था पर प्रभारी के रूप में तैनात श्री राजेश खेतवाल, सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-1 को उनके मूल पद वर्ग-1 पर तैनात किया जाता है।

टॉ।—
(गौरी शंकर),
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:- कू०नि०/ 1632 /स्था०-२/श्रेणी०-२/स्थानांपत्रा०/2018-19/ दिनांक : 10/6/.2018

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सम्बन्धित अधिकारी।
02. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुड़की स्थित लण्ठौरा / गोपेश्वर।
03. मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार / चमोली।
04. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
05. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
06. संयुक्त सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
07. गार्ड पत्रावली।

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या—12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक—05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या—01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुभाग—2 के शा० संख्या—30/XXX(2)18/30(13) 2017 दिनांक—06.02.2018 एवं शा० संख्या—140/XXX(2)18/30(13) 2018 दिनांक—25.05.2018 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक—05.06.2018 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री गोपाल सिंह भण्डारी, सहायक निदेशक नियोजन, कृषि निदेशालय का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा—7(ख) के अधीन सुगम से दुर्गम स्थान पर पात्रता के अनुसार कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, मोरी के पद पर किया जाता है।

श्री गोपाल सिंह भण्डारी, सहायक निदेशक, नियोजन, कृषि निदेशालय को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये, अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव ड़लवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा—24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

श्री गोपाल सिंह भण्डारी का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा।

४० | —
(गौरी शंकर),
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:- क०नि०/ १६३३ /स्था०—२/श्रेणी—२/स्थाना०पत्रा०/2018—19/ दिनांक : १०/६/ 2018

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सम्बन्धित अधिकारी।
02. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, मोरी।
03. मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी।
04. सम्बन्धित कोषाधिकारी/वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, देहरादून।
05. उप कृषि निदेशक, मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण कृषि निदेशालय।
06. संयुक्त कृषि निदेशक, नियोजन एवं अनुश्रवण, कृषि निदेशालय।
07. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
08. संयुक्त सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
09. गार्ड पत्रावली।

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या—12 / XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक—05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या—01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुभाग—2 के शा० संख्या—30 /XXX(2)18/30(13) 2017 दिनांक—06.02.2018 एवं शा० संख्या—140 /XXX(2)18/30(13) 2018 दिनांक—25.05.2018 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक—05.06.2018 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री आशाराम वर्मा, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, मोरी का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा—10(क) के अधीन दुर्गम से सुगम स्थान पर पात्रता के अनुसार कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सहसपुर के पद पर किया जाता है।

श्री आशाराम वर्मा, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, मोरी को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये, अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा—24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

श्री वर्मा का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भला देय होगा।

५०।—
(गौरी शंकर),
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:— कृ०नि०/ १६३४ /स्था०—२/श्रेणी—२/स्थाना०पत्रा०/2018—19/ दिनांक : १०/६/ 2018

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सम्बन्धित अधिकारी।
02. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, मोरी / सहसपुर।
03. मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी / देहरादून।
04. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
05. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
06. संयुक्त सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
07. गार्ड पत्रावली।

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।
१०/६

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या—12 / XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक—05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या—01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुभाग—2 के शा० संख्या—30 /XXX(2)18/30(13) 2017 दिनांक—06.02.2018 एवं शा० संख्या—140 /XXX(2)18/30(13) 2018 दिनांक—25.05.2018 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर यथि वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक—05.06.2018 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री महिधर सिंह तोमर, प्रभारी मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा—10 के अधीन दुर्गम से सुगम स्थान पर यात्रा के अनुसार सहायक निदेशक नियोजन, कृषि निदेशालय, देहरादून के पद पर किया जाता है।

श्री महिधर सिंह तोमर, प्रभारी मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये, अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा—24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

श्री महिधर सिंह तोमर का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा।

हृ०।—

(गौरी शंकर),
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:— कृ०नि०/ 1635 /स्था०—२/श्रेणी—२/स्थानापत्रा०/2018—19/ दिनांक : 10/6/2018

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सम्बन्धित अधिकारी।
02. मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी।
03. सम्बन्धित कोषाधिकारी/वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, देहरादून।
04. उप कृषि निदेशक, मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण कृषि निदेशालय।
05. संयुक्त कृषि निदेशक, नियोजन एवं अनुश्रवण, कृषि निदेशालय।
06. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
07. संयुक्त सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
08. गार्ड पत्रावली।

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या—12 / XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक—05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या—01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुभाग—2 के शा० संख्या—30 /XXX(2)18/30(13) 2017 दिनांक—06.02.2018 एवं शा० संख्या—140 /XXX(2)18/30(13) 2018 दिनांक—25.05.2018 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक—05.06.2018 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री रमेश चन्द्र पाल, प्रभारी कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, काशीपुर का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा—13(6) के अन्तर्गत उनके निजी अनुरोध के आधार पर मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार के अधीन उनके मूल पद अपर सहायक अभियंता के पद पर किया जाता है।

श्री रमेश चन्द्र पाल, प्रभारी कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, काशीपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये, अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र/योगदान सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव ड़लवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा—24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

श्री पाल का स्थानान्तरण उनके निजी अनुरोध के कम में किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

ह०।—

(गौरी शंकर),
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1636 /स्था०-२/श्रेणी०-२/स्थाना०पत्रा०/2018-19/ दिनांक : 10/6/2018

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सम्बन्धित अधिकारी।
02. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, काशीपुर।
03. मुख्य कृषि अधिकारी, ऊधमसिंहनगर/हरिद्वार।
04. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
05. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।
06. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
07. संयुक्त सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
08. गार्ड पत्रावली।

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।
१५/६

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या—12 / XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक—05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या—01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुभाग—2 के शा० संख्या—30 /XXX(2)18/30(13) 2017 दिनांक—06.02.2018 एवं शा० संख्या—140 /XXX(2)18/30(13) 2018 दिनांक—25.05.2018 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक—05.06.2018 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री सोमांश कुमार गुप्ता, केन्द्र प्रभारी, राजकीय भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, मजखाली का स्थानान्तरण विभागीय आवश्यकता, राजकीय कार्य की महत्ता के दृष्टिगत, राजकीय हित में कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर के पद पर किया जाता है।

श्री सोमांश कुमार गुप्ता, केन्द्र प्रभारी, राजकीय भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, मजखाली को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव ड़लवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा—24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

केन्द्र प्रभारी, राजकीय भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, मजखाली का प्रभार अग्रिम आदेशों तक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत द्वारा अपने कार्यों के साथ—साथ सम्पादित किया जायेगा, जिसके लिए उन्हें कोई वेतन भत्ते देय नहीं होंगे।

ह०।—
(गौरी शंकर),
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:— क०नि०/ 1637 /स्था०—२/श्रेणी०—२/स्थाना०पत्रा०/2018—19/ दिनांक : १०/६/ 2018

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सम्बन्धित अधिकारी।
02. केन्द्र प्रभारी राजकीय भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र मजखाली।
03. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
04. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत / नरेन्द्रनगर।
05. मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा / नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल)।
06. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी / अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
07. संयुक्त सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
08. गार्ड पत्रावली।

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।


आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या—12 / XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक—05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या—01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुभाग—2 के शा० संख्या—30 / XXX(2)18/30(13) 2017 दिनांक—06.02.2018 एवं शा० संख्या—140 / XXX(2)18/30(13) 2018 दिनांक—25.05.2018 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक—05.06.2018 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री राजदेव पंवार, सहायक निदेशक, संभागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, हल्द्वानी का स्थानान्तरण विभागीय आवश्यकता, राजकीय कार्य की महत्ता के दृष्टिगत, राजकीय हित में कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, काशीपुर के पद पर किया जाता है।

श्री राजदेव पंवार, सहायक निदेशक, संभागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, हल्द्वानी को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा—24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

सहायक निदेशक, संभागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, हल्द्वानी का प्रभार कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भीमताल (नैनीताल) द्वारा अपने कार्यों के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा, जिसके लिए उन्हें कोई वेतन भत्ते देय नहीं होंगे।

४०।—
(गौरी शकर),
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:— क०नि०/ 163८ / स्था०—२/ श्रेणी०—२/ स्थाना०पत्रा०/ 2018—19/ दिनांक : 10/6/2018

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सम्बन्धित अधिकारी।
02. सहायक निदेशक, संभागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, हल्द्वानी।
03. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, काशीपुर/भीमताल।
04. मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल/ऊधमसिंहनगर।
05. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।
06. संयुक्त सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
07. गार्ड पत्रावली।

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।
७८

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या-01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुभाग-2 के शा० संख्या-30/XXX(2)18/30(13) 2017 दिनांक-06.02.2018 एवं शा० संख्या-140/XXX(2)18/30(13) 2018 दिनांक-25.05.2018 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-05.06.2018 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री अरविन्द कुमार गौतम, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर का स्थानान्तरण विभागीय आवश्यकता, राजकीय कार्य की महत्ता के दृष्टिगत, राजकीय हित में कृषि रक्षा अधिकारी, हरिद्वार के पद पर किया जाता है।

श्री अरविन्द कुमार गौतम, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव ड़लवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

ह०।—
(गौरी शंकर),
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:- क०नि०/ 1639 /स्था०-२/श्रेणी-२/स्थाना०पत्रा०/2018-19/ दिनांक : १०/६/2018

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सम्बन्धित अधिकारी।
02. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर।
03. कृषि रक्षा अधिकारी, हरिद्वार।
04. मुख्य कृषि अधिकारी, नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल)/हरिद्वार।
05. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
06. संयुक्त सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
07. गार्ड पत्रावली।

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

५१६